

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 2403./

दिनांक 05/12/2024

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Md. Murshid Alam,
Vill+P.O-Ladaura
P.S-Kudhani, Muzaffarpur

विषय:- शीर्ष MR-3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) योजना अन्तर्गत L035 Kalwara To Bhapura तक पथ निर्माण कार्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- एकरारनामा संख्या- 54/MBD/2020-21 दिनांक- 15.09.2020
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का मूल कार्य दिनांक-09.10.2022 को आपके द्वारा पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तरह अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य करना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप में निर्देशित किया गया था, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है।

ज्ञातव्य हो कि सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, सिंहवाड़ा द्वारा दिनांक-27.09.2024 को BRRMS App से निरीक्षण किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान किया गया है। तदोपरान्त BRRMS App के Rectification Module में प्रदर्शित होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-02.12.2024 को उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच की गई जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। निरीक्षणोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाया गया है, जो निम्न प्रकार से है :-

- पथ के चैनेज-50 मी0, 150मी0 एवं अन्य जगहों पथ के फ्लैक में जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।
- पथ के चैनेज-0.00मी0 से 300 मी0, 550मी0 एवं अन्य जगहों पर पॉट होल हो जाना।
- पथ में हेक्टोमीटर पिलर एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना।
- पथ के CD में Parapat Wall का अनुरक्षण के तहत पेंटिंग एवं उसकी संख्या/ चैनेज नहीं अंकित रहना।
- मेन बोर्ड/ अनुरक्षण बोर्ड एवं लोगोबोर्ड का पेंटिंग नहीं होना एवं उनपर पूर्ण सूचना अंकित नहीं रहना।

अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में उक्त वर्णित त्रुटियों को पन्द्रह दिनों के अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपके निबंधन को MBD के Clause of Contract की कंडिका-59.1.2 (a), (h) & (i) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दिया जायेगा। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वयं होंगे।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापांक 2403./ दिनांक 05/12/2024/
प्रतिलिपि:-अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2